

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारार्कित प्रश्न ख : 1107

07 , 2020 प्रश्न त

1107. श्री कुरुवा गोरान्तला माधव:

क स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में करगे कि:

- () क्या एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य त नक और खाद्य योज्य) नौव
, 2018 में, जो राइस सिरप के लिए विशिष्ट माकर,
ट्रे ; इ िं
, फ शहद म मिलावट के रूप म उक्त वस्तुओं का उपयोग किया
उस स्तर का उल्लेख करने को आवश्यकता नहीं है;
- () फ , त ढ क ;
- () क िं ढ त , फ ,
त ब्यौरा क्या है;
- () क्या एफएसएसएआई ने आवश्यक पराग गणना को 25000 5000 फ
र उसके उत्पादक हतोत्साहित हुए ह/ न हु ; फ
, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

—५—

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

- () (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने दिनांक 29 क ,
2019 में , इ
; फ , िं :- 4 , 13

क, 13, - , 13, क 134 प्रोटीन हनी को अभी भी कवर करते ह 4
गर जैसे मक्को , न , न , आदि को मिलावट का बड़े पैमाने पर

(): एक मानदंड ह जो शहद को प्रा ष तों े

(): एफएसएसएआई ने सूचित किया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था () ढ्र
क अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्था () जों प्र ष
पोलन काउंट अपेक्षाओं म संशोधन किया गया है देश म शहद को पोलन काउंट को सही तस्वीर प्रस्तु
